गुल्ली बनाम बाबूलाल

अपील संख्या : 129/2019

07.10.2019	पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण उपस्थित। दिनांक 14.07.2019 को एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट कम 1 और 3 की ओर से पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जरिये मुख्तार आम कोई अपील पेश नहीं की गई है और राजेन्द्र मित्तल को अपील पेश करने बाबत् मुख्तार आम भी नहीं बनाया गया है । अपीलान्ट ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह अपील नहीं चलाना चाहते और विड्रो करना चाहते हैं । अपीलान्ट कम 3 भी नाबालिग नहीं है । अपीलान्ट कम 03 को नाबालिग बताकर अपील पेश की गई है जबकि अपीलान्ट कम 03 ने अपील पेश करने बाबत् किसी को कोई हिदायत नहीं दी है । अपीलान्ट कम 03 बालिग है और स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने नाम से प्रस्तुत की गई अपील को विड्रो करना चाहता है । अपीलान्ट कम 1 व 3 इस अपील को चलाना नहीं चाहते। अतः अपील विद्ड्रोन फरमाई जावे । इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलान्ट कम 2 और 04 की ओर से पेश किया गया और यह कथन किया गया कि अपीलान्ट कम 02 किशना आत्मज काना को नाबालिग बताकर अपील पेश की गई है जबकि अपीलान्ट कम 02 बालिग है एवं अपीलान्ट कम 04 को भी नाबालिग बताकर अपील पेश की गई है जबकि उसकी उम्र 24 वर्ष है और वह बालिग है । अपीलान्ट कम 2 व 4 के द्वारा जरिये मुख्तारआम न्यायालय में अपील पेश करने की हिदायत नहीं दी गई है। अपीलान्ट कम 2 व 4 स्वयं बालिग हैं एवं राजेन्द्र मित्तल को अपील पेश करने हेतु मुख्तार आम नहीं बनाया गया है । अपीलान्ट कम 02 व 4 स्वयं बालिग होने से न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलान्ट की ओर से पेश की गई अपील को विड्रो करना चाहते हैं । अतः अपील विद्ड्रोन फरमाई जावे । मुख्तार आम की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया था और कथन किया कि मुख्तारनामा विधिक है । जब अपील मुख्तारआम की ओर से पेश की गई है तो प्रार्थीगण को विड्रो करने का अधिकार नहीं है । हमने उक्त प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । चूँकि अपीलान्टगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर यह कथन करते हैं कि वे इस अपील को नहीं चलाना चाहते हैं और उन्होंने अपील को चलाने के लिए राजेन्द्र मित्तल को मुख्तारआम नियुक्त नहीं किया है । अपीलान्टगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर भी यही प्रार्थना की है कि वो अपील नहीं चलाना चाहते हैं और उनके अभिभाषक ने उन्हें तस्दीक किया है । ऐसी स्थिति में अपील एज विद्ड्रोन (as withdrawn) खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थी के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं, कि यदि मुख्तार आम के माध्यम से कोई अपील पेश की गई है तो उसको विड्रो करने का अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है ।

इस प्रकरण में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि वादी बाबूलाल के द्वारा राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर हक घोषणा का दावा पेश किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के अनुसार पैरोकार सरकार के द्वारा दावे को अस्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि निर्णय के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी की गैर खातेदारी में दर्ज है और इस हक घोषणा के दावे के आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं जो विधि अनुकूल नहीं है क्योंकि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवंटी को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी के द्वारा यह जॉच करने के उपरान्त कि आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है अथवा नहीं, विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार हेतु हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से तहसीलदार के द्वारा कोई अपील इस प्रकरण में पेश नहीं की गई है । अतः निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर महोदय, बून्दी एवं तहसीलदार तालेडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे । तद्नुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अपील अपीलान्ट (as withdrawn) खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1-98
35/19
प्राप्त
82
9/10/19